न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/2019

प्रार्थीगण

1. कालीदेवी पत्नि गेमाराम
2. झीणीदेवी पत्नि वेलाजी
3. गेमाराम पुत्र वेलाजी जातियान भील निवासीयान जेतपुरा तहसील रानीवाडा जिला जालोर

अप्रार्थीगण

1. हस्तुदेवी पत्नि जेता
2. वजा वल्द रूपा
3. मृतक नोनूदेवी पत्नि भूराजी के कायम मूकाम वारीसान :–

3/1 भरत
3/2 दलपत
3/3 हरजी पुत्रगण भूराजी
3/4 लसी
3/5 बबी पुत्रीयां भूराजी

4. मणीदेवी पत्नि अनाजी जातियान मेघवंशी निवासीयान रूपावटी कलां तहसील रानीवाडा
5. भूमिधारी तहसीलदारजी रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्राथी अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई
2. अप्रार्थी संख्या 2 अधिवक्ता श्री जबराराम पुरोहित
3. अप्रार्थी संख्या 4 अधिवक्ता श्री श्रवणसिंह देवडा

निर्णय

दिनांक – 13.10.2020

1. प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि सरहद मौजा रूपावटी कलां तहसील रानीवाडा में प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 126 रकबा 2.09 है0 आई हुई है। जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 126 रकबा 2.09 हैक्टेयर के उत्तर पूर्व में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नम्बर 127 रकबा 8.40 हैक्टेयर आई हुई है। तथा प्रार्थीगण की उक्त आराजी के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 125 रकबा 0.60 हैक्टेयर आई हुई हैं, जिसकी खातेदारी उपरोक्तानुसार अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के नाम वर्तमान राजस्व रेक[illegible] हैं। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी आराजी व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की [illegible] जी के सीमाज्ञान को लेकर विवाद हैं। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की आराजी खसरा [illegible] 127 व अप्रार्थी [illegible] व 4 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.02.09 18:21:29 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 125 के दक्षिण दिशा में गै.मू. नाला की आराजी हैं, उक्त आराजी को हड़प करने की मंशा के चलते अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की अराजी की माठ को भी खुर्द बुर्द कर प्रार्थीगण की आराजी को हडप करना चाहते हैं तथा आराजी का सीमा विवाद करने के लिये उतारू रहते हैं। प्रार्थीगण ने उक्त आराजी की पैमाईश हेतु दिनांक 12.06.2017 को तहसीलदार रानीवाडा से आदेश करवाकर हल्का पटवारी से पैमाईश करवाकर पटवारी से दिनांक 17.05.2018 को सीमाज्ञान करवाया था परन्तु मौके पर अप्रार्थीगण ने स्थाई सीमा चिन्ह पत्थर अथवा बाड़ नहीं करने दी थी। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 अपनी आदतो से बाज नहीं आकर प्रार्थीगण की आराजी व अप्रार्थीगण की आराजी के बीच मौके पर माठ पर लौर को खुर्द बुर्द कर दिया है, तथा माठ को विवादग्रस्त बना दिया है। तथा माठ की सीमा का स्पष्ट पता नहीं चल रहा हैं। उक्त आराजी की सीमाज्ञान को लेकर मौके पर भारी विवाद होने से उक्त आराजीयान का सीमाज्ञान करवा कर वास्तविक व स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित करवा कर उसे स्थाई तौर पर स्थाई पत्थर गड्डी करवाया जाना न्याय हित में अति आवश्यक हैं ,प्रार्थना पत्र के साथ पेश नजरी नक्शा परिशिष्ट अ के अनुसार गै.मू. नाले की आराजी मार्क ए स्थान पर अप्रार्थी 3 व 4 का अवैध कब्जा हैं उक्त नाले की सम्पूर्ण आराजी पर अतिक्रमण कर अपना कब्जा जमाने के साथ साथ प्रार्थीगण की आराजी को भी हडप करना चाहते हैं। इसलिये उक्त नाले की आराजी से अप्रार्थी संख्या 1 व 4 का अतिक्रमण हटवाया जाना व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की आराजी के बीच की माठ पर सीमाज्ञान करवाया जाकर स्थाई सीमा चिन्ह कायम किया जाना अति आवश्यक हैं।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 1, 3/1 से 3/5 की ओर से बाद तामिल नोटिस कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तथा अप्रार्थी संख्या 4 के अधिवक्ता को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त जवाब पेश नहीं करने से आदेशिका दिनांक 22.10.2019 को इनका जवाब बंद किया गया।

3. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया गया जिनके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा प्रार्थीगण की आराजी के बीच पुरानी माठ कायम हैं तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खेतों की सीमा को लेकर कोई विवाद नहीं हैं। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 पर गलत आरोप लगाकर यह प्रार्थना पत्र पेश किया हैं तथा प्रार्थीगण ने नक्शा परिशिष्ठ अ भी गलत पेश किया हैं। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का नाले की आराजी में कोई कब्जा नही हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारीज हैं। प्रार्थीगण ने धारा 111,128 भू राजस्व अधिनियम के परन्तुक के तहत तहसीलदार रानीवाडा से प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की आराजी की पैमाईश करवा कर सीमाज्ञान हेतु कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर प्रकरण हाजा पेश किया हैं, जो कानूनीया चलने योग्य नहीं हैं। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के बीच सीमा को लेकर कोई विवाद हो ऐसा दस्तावेज भी प्रार्थीगण ने प्रकरण हाजा में पेंश नहीं किया है। सो प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारीज हैं। प्रार्थीगण अदालत हाजा से किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना [illegible] खर्चा खारीज फरमावे।

4. अप्रार्थी संख्या 5 तहसीलदार रानीवाडा द्वारा [illegible] पेश किया गया जिनके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम [illegible] 127 रकबा 8.40 हैक्टेयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.02.09 18:21:29 IST
Reason: SelfAttested

किस्म बारानी सोयम हस्तुदेवी पत्नि जेता 1/2 वजा वल्द रूपा 1/2 कौम मेघवाल साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज है। नक्शा ट्रेस अनूसार खसरा नं. 126, 127 दोनो के बीच माढ से लगते हुए है। प्रार्थीगण उनके खातेदारी खसरा नम्बर 126 व पडोसी खसरा नम्बर 127 के मध्य सीमा विवाद होने से पत्थरगड़ी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में आदेश दिनांक 12.06.2017 के द्वारा सीमाज्ञान करवाया गया था परन्तु पड़ौसी खातेदार द्वारा सीमा चिन्हो को मानने से इनकार कर दिया। प्रार्थीगण मौके पर सीमा विवाद के समाधान हेतु पत्थरगढी करवाना चाहते है।

5. पत्रावली मे पेश प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज अप्रार्थी संख्या 2 व 5 के जवाब व बहस के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.05.2018 को तहसीलदार रानीवाडा से सीमांकन करवाया गया। तथा तहसीलदार रानीवाडा ने अपने जवाब में लिखा है कि प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में आदेश दिनांक 12.06.2017 के द्वारा सीमाज्ञान करवाया गया था। परन्तु पड़ौसी खातेदार द्वारा सीमा चिन्हो को मानने से इनकार कर दिया। तथा प्रार्थीगण मौके पर सीमा विवाद के समाधान हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अतः उपरोक्त खसरा नम्बर 126 व 127 के मध्य माठ वादग्रस्त होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–: आदेश :–

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि सरहद मौजा रूपावटी कलां के खसरा नम्बर 126 रकबा 2.09 हैक्टेयर के आराजी की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गड्डी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 7 दिवस में पालना प्रस्तुत करें। एवं आप द्वारा गठित टीम को निर्देशित करें कि दोनों पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू मोमियों नक्शा ट्रेस सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थर गड्डी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 13.10.2020 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.02.09 13:21:29 IST
Reason: SelfAttested